भारत में हिन्दी – वर्तमान स्वरूप और समस्याएं

डॉ. नरेश मोहन, राजभाषा समन्वयक
बीएचईएल, हरिद्वार

भारत एक ऐसा भाषाई क्षेत्र है जिसमें अनेक प्रांतीय भाषाएं अपनी-अपनी सुसमृद्ध साहित्यिक-सांस्कृतिक परम्पराओं के साथ रची-बसी हैं । समान्यत: ये परम्पराएं सामासिक प्रकृति की हैं जिनमें चिरकाल से आपस में मुक्त आदान-प्रदान होता आ रहा है । आदान-प्रदान की इस प्रक्रिया की संवाहक और सेतु भाषा होने का श्रेय हिन्दी को है, जिसे भारतीय गणराज्य की राजभाषा, राष्ट्रभाषा और अन्तर्राष्ट्रीय भाषा होने का अपना संवैधानिक दायित्व विनम्रतापूर्वक निभाना है । राष्ट्र की भावनात्मक एकता और अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर गरिमा गौरव की एक बोलती भाषा के रूप में हिन्दी को प्रभावपूर्ण और सुव्यापी बनाने की परम आवश्यकता है ।

हिन्दी हमारे देश की राजभाषा है अपितु यह भी कह सकते हैं कि हिन्दी हमारी संस्कृति और इस देश की आत्मा है । कहते हैं किसी भी देश का विकास उसकी अपनी भाषा पर निर्भर होता है । एक समृद्ध राष्ट्र भाषा उस देश के विकास में पग-पग पर सहायक सिद्ध होती है और जिस देश की कोई भाषा नहीं होती उसका कोई अस्तित्व भी नहीं होता । यह हमारे लिए बड़े गर्व की बात है कि हमारे पास हिन्दी जैसी समृद्ध भाषा है । हिन्दी कश्मीर से कन्याकुमारी तक सभी जगह सरलता से बोली, लिखी, पढ़ी और समझी जाती है । यह देश की संपर्क भाषा है जिसे देश के प्राय: हर प्रान्त में आम आदमी आसानी से समझ और समझा सकता है । हिन्दी एक ऐसी समर्थ भाषा है जिसने पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों दिशाओं को एक सूत्र में बांध कर रखा है । इस देश में जहां हर पांच कोस पर बोली बदल जाती है वहां संपर्क सूत्र के रूप में हिन्दी अपना बहुमूल्य योगदान दे रही है ।

हर राष्ट्र के पास अपना एक चिन्तन होता है, अपनी भावनाएं होती हैं जिसे वह अपनी भाषा में व्यक्त करता है । भाषा केवल अभिव्यक्ति का ही माध्यम नहीं होती बल्कि उससे बोलने वालों की संस्कृति और संस्कार भी जुड़े होते हैं । भाषा जहां अपनी सांस्कृतिक विरासत से उपजी हुई है वहीं वह इस विरासत को आगे आने वाली पीढ़ी तक पहुँचाती भी है ।

देशकाल परिस्थितियों के आधार पर कई प्रकार की भाषाओं का परिचय हमारे इतिहास के पृष्ठों में व्यक्त किया गया है । हमारी हिन्दी भाषा इस वर्गीकरण में भारोपीय भाषा कहलाती है । इसे सभ्यता के आरम्भ में भारतीय आर्यभाषा कहा गया है । 2400 वर्ष ई.पू. से 500 वर्ष ई.पू. तक यह प्राचीन भारतीय आर्यभाषा, 500 वर्ष ई.पू. से 1000 वर्ष ई.पू. तक मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा तथा 1000 ई. से अब तक की भाषा आधुनिक आर्य भाषा कही गयी है ।

वर्ष 2400 ई.पू. से वर्ष 800 ई.पू. तक वैदिक काल रहा है जिसमें उपनिषद् एवं वेद आदि ग्रन्थों की रचना हुई है । 800 वर्ष ई.पू. से 500 वर्ष ई.पू. तक लौकिक संस्कृत भाषा काल रहा है । इसमें रामायण महाभारत तथा पुराण आदि ग्रन्थों की रचना मानी जाती है । 500 वर्ष ई.पू. से 1 ई. तक की भाषा को प्रथम प्राकृत या पालि भाषा कहा गया है, यही मूल संस्कृत कही गयी है । ऐसा

माना जाता है कि इस युग में छन्द, शास्त्र तथा दर्शन आदि की रचना हुई । 1 ई. से 500 ई. तक की द्वितीय प्राकृत भाषा में प्राचीन नाटक एवं जैन ग्रन्थ आदि की रचना हुई । वर्ष 500 ई. पू.. से 1000 ई. तक की भाषा अपभ्रंश तृतीय प्राकृत भाषा है जिसमें शब्दानुशासन, व्याकरण आदि की रचना हुई है।

वस्तुतः हिन्द शब्द के साथ 'ई' प्रत्यय लगाकर हिन्दी बनता है । इतिहास का दर्पण बताता है कि भारत का प्रारम्भिक नाम जम्बू दीप था फिर भरत खण्ड और बाद में आर्यवर्त था जो बाद में भारत वर्ष बना । यह नाम हिन्दी, वस्तुतः पश्चिमी सीमा पर सिन्धु नदी की उपस्थिति के कारण माना जाता है । सिन्धु को सिन्दू फिर हिन्दू नाम से उच्चारित किया जाता रहा है । यही आगे चलकर हिन्दू से हिन्दी शब्द के उद्भव का कारण माना जाता है ।

हमारा अतीत जब पराधीनता के बन्धनों में बंधा था तो हमारी देवनागरी हिन्दी भी इस आक्रान्ता संस्कृतियों के कुप्रभाव से अछूति नहीं रह सकी । एक अति विस्तारित पराधीनता के पश्चात वर्ष 1947 की पन्द्रह अगस्त को हमने, हमारे देश ने तथा हमारी भाषा ने स्वतंत्र वायु में स्वाधीनता की सांस ली । हिन्दी शब्द के कानों में पड़ते ही हृदय में सच्ची राष्ट्रवाद की संवेदना संवेग सहित झलकने लगती है । यह माना जाता है कि 19वीं शताब्दी के मध्य तक भाषावार प्रांत नहीं थे केवल स्वाधीनता संघर्ष हेतु असंदिग्ध निष्पक्षता वाले मनोभावों का प्रत्यक्षीकरण होता था । स्वाधीनता के पश्चात 14 सितम्बर 1949 को हिन्दी को राजभाषा का स्थान दे दिया गया, सम्पूर्ण भारत में हिन्दी बोलने एवं समझने वालों की संख्या लगभग 57 प्रतिशत है । लगभग 150 विश्वविद्यालयों में यह पढ़ी तथा पढ़ायी जाती है । हिन्दी वास्तव में भारतीय सभ्यता, संस्कृति और राष्ट्रीय एकता का प्रतीक है । गाँधी जी ने कहा था कि यदि आप समूचे भारत की सेवा करना चाहते हैं, यदि आप इस विशाल देश के उत्तर एवं दक्षिण और पूर्व एवं पश्चिम को परस्पर जोड़ना चाहते हैं तो हिन्दी को सम्मान देना होगा ।

हम भारतीय अपनी भाषा को अपनी माता के समान आदर एवं सम्मान देते हैं, उसकी पूजा एवं अर्चना करते हैं । यह हमारी भारतीय संस्कृति है कि जिसके विषय में विश्व के महान विचारक मैक्समूलर ने कहा था कि जब कभी विश्व की सबसे उन्नत संस्कृति के बारे में चर्चा होगी तो मै अवश्य ही भारतीय संस्कृति का नाम आते ही नतमस्तक हो जाऊंगा ।

हमारी हिन्दी में स्व या नवनिर्मित शब्द कम हैं, इसमें संस्कृत के तत्सम तथा तद्भव आदि अधिक हैं । यह वृहद् स्तर पर लगभग डेढ़ लाख शब्दों का भण्डार है । हिन्दी अनेक भाषाओं को अपने में आत्मसात किये हुए है । इसमें द्रविड़, ईरानी, अरबी, फारसी, तुर्की, चीनी, जापानी, यूनानी, लैटिन, पुर्तगाली, अंग्रेजी, जर्मन, स्पेनी, डच, इटेलियन, रूसी, अफ्रीकी, अफगानी आदि के अनेक शब्द सम्मिलित हैं ।

इस प्रकार यदि देखें तो हिन्दी एक समुन्द्र है जिसमें अनेक धाराएं आलिंगत होकर अपना अस्तित्व समाधित कर देती हैं इस प्रकार हिन्दी ही एक मात्र भाषा है जिसमें विश्व की अनेक भाषाओं का समाहित होना पाया जाता है । अतः हिन्दी को राष्ट्रीय एकता ही नही अपितु विश्व एकता का सर्वश्रेष्ठ माध्यम कहें तो अतिश्योक्ति नहीं होगी । किसी राष्ट्र की संस्कृति तब तक गूंगी

रहती है जब तक राष्ट्र की अपनी वाणी नहीं होती, उसकी कोई राष्ट्रभाषा नहीं होती । राजनीतिक पराधीनता की हमारी हथकड़ी और बेडियां जरूर कटी हैं किन्तु अंग्रेजी और अंग्रेजियत के रूप में हमारे मनोजगत में जो दासता के चिह्न विद्यमान हैं उन्होंने हमें निष्क्रिय बना दिया है । भाषा कोई परिधान मात्र नहीं अपितु राष्ट्र का व्यक्तित्व है । हमारी संस्कृति के गोमुख से निकली हुई सब भारतीय भाषाएं हमारी हैं किन्तु उनमें से अपनी व्यापकता, आरंभ से ही जन विद्रोह और जन संघर्ष की वाणी देते रहने के कारण एवं जीवन के हर क्षेत्र को संभालने में समर्थ होने के कारण हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार किया गया ।

भाषा और राष्ट्र का सम्बन्ध राष्ट्रीयता और संस्कृति से है । भाषा के वेष में मनुष्य की संस्कृति बोलती है । यदि भाषा नष्ट हो जाए तो सांस्कृतिक विरासत के विलुप्त हो जाने का योग बनता है । इसी तथ्य को ध्यान में रखकर स्वाधीनता प्राप्ति के लिए संघर्षरत भारत ने भाषा की शक्ति को पहचाना और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारतीय संविधान से हिन्दी को राजभाषा का गौरव मिला ।

26 जनवरी, 1950 से प्रभावी होने वाले स्वाधीन भारत के संविधान में हिन्दी को संपर्क भाषा और राजभाषा के रूप में मान्यता दी गयी है और यह संकल्प किया गया कि क्रमशः हिन्दी का प्रयोग बढ़ाते हुए 15 वर्ष पश्चात हिन्दी को पूर्णतया प्रतिष्ठित कर दिया जायेगा । यह संकल्प अथवा निर्णय देश के समस्त प्रान्तों के प्रतिनिधियों का समवेत निर्णय था क्योंकि यह राष्ट्रीयता की पुकार थी कि हिन्दी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित कर जनचेतना को सम्मानजनक बाणी दी जाए । उल्लेखनीय है कि वैदिक काल में ज्ञान विज्ञान की शाखाओं में साहित्य, दर्शन, व्याकरण, औषधि, विज्ञान, खगोल, गणित, धातुविज्ञान आदि अंग्रेजी में नहीं थे ये भारतीय भाषा में थे और इन्हीं के प्रभाव के कारण भारत विश्वगुरू कहलाया था । विश्लेषण और संश्लेषण यह कहता है कि हिन्दी भाषा विकसित ही नहीं अपितु ज्यादा वैज्ञानिक और प्रभावी भाषा है ।

जहाँ तक हिन्दी के स्वरूप की बात है तो हिन्दी के दो रूप मुख्य हैं, एक है सामान्य हिन्दी और दूसरा है प्रयोजनमूलक हिन्दी । सामान्य हिन्दी शिक्षा और साहित्य से सम्बद्ध है तथा प्रयोजनमूलक हिन्दी जो पारिभाषिक शब्द से बनी संरचना है जो विशेष प्रयोजन हेतु प्रयोग होती है। वास्तव में प्रयोजनमूलक हिन्दी हिन्दी भाषा का राजभाषा के रूप में अत्याधुनिक एवं अपेक्षाकृत गत्यात्मक प्रयुक्तिपरक रूप है । प्रयोजनमूलक हिन्दी के छ रूप हैं । इसमें रचनात्मक हिन्दी, वाणिज्यिक हिन्दी, कार्यालयी हिन्दी, विज्ञापन भाषा हिन्दी, विधि एवं कानूनी हिन्दी, वैज्ञानिक एवं तकनीकी हिन्दी निहित हैं ।

हिन्दी के कार्यान्वयन सम्बन्धी समस्या पर बात करें तो यह इतना विस्तृत विषय है कि इसकी प्रस्तुति इतनी सरल नहीं है । युग परिवर्तन के साथ कभी वैदिक कभी संस्कृत कभी प्राकृत पाली, अपभ्रंश और अब हिन्दी के नाम से जानी जाने वाली हिन्दी भाषा का हिन्दी शब्द स्वयं में फारसी का है । 21 जून, 1931 के नवजीवन पत्र में महात्मा गांधी का वक्तव्य छपा कि हिन्दी ही भारत की राष्ट्रभाषा हो सकती है । यह गांधी जी के 1918 के सम्मेलन की अभिव्यक्ति का ही प्रभाव था । भाषायी निरूपण के लिए श्री लक्ष्मीकान्त मैत्र ने संस्कृत और श्री सतीश चन्द्र सामंत ने बंगला तथा एन. गोपालस्वामी अयंगर ने अंग्रेजी की वकालत की । किन्तु बाद में सभी तथ्य निरस्त

कर इन्होंने हिन्दी का समर्थन किया, अयंगर ने तो के.एम. मुंशी के साथ जो फार्मूला दिया वह मुंशी-अयंगर फार्मूला कहलाया जो हिन्दी को राजभाषा का दर्जा देने के लिए आधार बना ।

लोकतंत्र में यह मान्यता है कि जनता की अपेक्षाओं को जनप्रतिनिधि सांसद संसद में उठाते हैं और उन पर वहां चर्चा होती है किन्तु इतिहास गवाह है कि आज तक कभी भी किसी से भी किसी ने भाषायी विषय पर बात नहीं उठायी । इसके अतिरिक्त यदि सामान्य स्वरूप में देखा जाए तो आवश्यकता के अनुरूप हिन्दी का प्रयोग हिन्दी के मूल स्वरूप को बिगाड़ रहा है । इसके परिणाम भविष्य में कतई अच्छे नहीं रहेंगे। हिन्दी के प्रति राजनीति, कलुषित विचारधारा, हीन भावना, भाषायी कटुता आदि बहुत बड़ी समस्याएं हैं। हमारे सिने जगत के कलाकार, विज्ञापन, मीडिया आदि क्षेत्र में भाषा प्रयोग तथा यथार्थ में अन्तर स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ की छः भाषाओं में अंग्रेजी और चीनी को छोड़कर शेष की स्थिति में हिन्दी बहुत आगे है । आज केवल औपचारिकता के रूप में हिन्दी सभा, सम्मेलन, हिन्दी सप्ताह, हिन्दी पखवाड़ा, हिन्दी माह या हिन्दी दिवस पर बड़ी बड़ी बातें करना, हिन्दी के लिए पुरस्कार देना भारत देश में विचारणीय है । विश्व में कौन सा देश है जो अपनी भाषा को प्रयोग करने हेतु ऐसे आयोजन करता है । कार्यालयों में हिन्दी प्रयोग हो हौव्वा, संकोच, दायित्व, अनुवाद तथा अनूदित भाषा की कठिनता, वर्तनी तथा उच्चारण, शब्दावली की कमी, क्लिष्टता आदि मुख्य समस्याएं हैं । वास्तव में हिन्दी के उत्थान के लिए एक नियोजित कार्यक्रम लागू करना आवश्यक है । कुछ बिन्दु यहां प्रस्तुत हैं :-

1. हिन्दी में लौकिक, विज्ञान सम्बन्धी और धर्म निरपेक्ष साहित्य की परम आवश्यकता है ।
2. हिन्दी में अच्छे और रोचक बाल साहित्य की कमी है इस पर विचार करना आवश्यक है ।
3. अन्य भाषाओं के लाभदायक साहित्य का सरल हिन्दी में अनुवाद होना चाहिए ।
4. हिन्दी का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए ।
5. एक पृथक राजभाषा कार्यान्वयन के मूल्यांकन हेतु परिषद् की स्थापना की जानी चाहिए ।
6. हिन्दी के नाम पर लाखों-लाखों खर्च करने वाले केन्द्र सरकार से सम्बद्ध विभागों तथा कार्यालयों आदि का समुचित मूल्यांकन किये जाने पर गंभीरता से विचार किए जाएं।
7. केन्द्रीय हिन्दी संस्थान, अनुवाद ब्यूरो, शब्दावली आयोग, तकनीकी निदेशालय के कार्यों की समीक्षा की जानी आवश्यक है ।
8. शिक्षा के क्षेत्र में हर स्तर पर हिन्दी के स्थान की विवेचना, एक जैसा पाठ्यक्रम तथा हर स्तर पर हिन्दी के अनिवार्य विषय पर विचार तथा कार्यान्वयन आवश्यक हे । हिन्दी मे शोध हेतु सुविधा तथा वजीफा आदि प्रोत्साहन की व्यवस्था हो तथा न्यूनतम अंक सीमा 48 प्रतिशत होनी चाहिए ।
9. विदेश मंत्रालय तथा विदेश भ्रमण पर हिन्दी प्रयोग एवं सम्बोधन पर विचार आवश्यक है ।
10. मीडिया की भूमिका तथा इस क्षेत्र में प्रयोग होने वाली भाषा पर नियंत्रण आवश्यक है ।
11. सिने जगत के कलाकार हिन्दी सिनेमा के कारण प्रसिद्धि पाते हैं किन्तु साक्षात्कार अंग्रेजी में देते हैं ।

12. विज्ञापन के क्षेत्र में बोला हिन्दी या क्षेत्रीय भाषा में जाता है किन्तु उत्पाद के नाम अंग्रेजी में होते हैं इस पर अंकुश लगाया जाए ।
13. हिन्दी के बारे में चन्द लोगों द्वारा फैलायी गलत फहमियों को हर संभव दूर करना चाहिए ।
14. लोगों में राष्ट्रीयता तथा समर्पण की भावना बढ़ानी चाहिए ।
15. नाटकवाजी रोक कर यथार्थ पर जोर दिया जाए ।
16. राजभाषा कार्यान्वयन के निरीक्षण पर आंकड़ों के स्थान पर वास्तविक क्रियान्वयन पर जोर दिया जाए ।

यदि भारतवासी परस्पर वैमनस्य छोड़कर हिन्दी के प्रयोग हेतु निष्ठापूर्वक प्रयास करें तो वह दिन दूर नहीं जब हिन्दी को राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों स्तरों पर सम्मानजनक स्थान मिल जायेगा । हिन्दी भाषा की यह कहकर उपेक्षा करना कि यह वैज्ञानिक कार्यों के लिए उपयुक्त शब्दावली विहीन है या क्लिष्ट है यह अवैज्ञानिक मानसिकता का द्योतक है । आज आवश्कता है कि सरकार के साथ-साथ उसके तथा उससे जुड़े कर्मचारी अधिकारी अपने स्तर पर सारा कार्य हिन्दी मे करें । हिन्दी को आजीविका से जोड़ा जाए । हिन्दी के क्षेत्र के रिक्त पदों के लिए योग्यता में शिथिलता रखी जाए । हिन्दी में शोध हेतु प्रोत्साहन तथा छूट दी जाए । हिन्दी में उच्च शिक्षा को शुल्क मुक्त किया जाए । पब्लिक स्कूलों, उच्च शिक्षण संस्थानों में हिन्दी की अनिवार्यता पर विचार बहुत आवश्यक है । अन्य भाषाओं तथा अंग्रेजी को सीखने के स्तर पर रखा जाए।

कार्य के हर क्षेत्र में भाषा के उपयोग पर हमारी कार्यकुशलता निर्भर करती है । कार्यकुशलता से उत्पादकता बढ़ती है और उत्पादकता से प्रगति । भारत की प्रगति का पथ भारतीयता की भूमि पर से भारतीय भाषा की भूमि पर से ही होकर जा सकता है और हिन्दी आपादमस्तक भारतीयता से ओत प्रोत है, वह भारतीय भाषा ही नहीं, भारत की जनभाषा है, संपर्क भाषा है, राष्ट्रभाषा है और राजभाषा है ।

हिन्दी को राष्ट्र भाषा और जन-जन की भाषा के रूप में प्रतिष्ठा दिलाने व शैक्षिक, सरकारी व सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में सुस्थापित करने के लिए तथा अपनी साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विरासत को निरन्तर प्रवाहमान बनाने के लिए हमें अपनी संकल्प शक्तियों को परखने तथा उन पर दृढता के साथ अमल करने की नितांत आवश्यकता है और इसी में हम सबका कल्याण निहित है ।